



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1944 (श0)
(सं0 पटना 386) पटना, मंगलवार, 21 जून 2022

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

21 जून 2022

सं० Exp-21/2020/(खंड-136) सरायरंजन- 67—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या- 76/बिहार-वि.स./136/सी.ई.एम.एस.-III/2020 दिनांक 31.05.2022 से एतद्द्वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के के 136-सरायरंजन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले आम अधिकार मोर्चा के अभ्यर्थी श्री बुलबुल कुमार सहनी, निवासी- ग्राम+पो.- चंदौली, थाना- उजियारपुर, जिला- समस्तीपुर, बिहार को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है (हिन्दी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव -सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मई, 2022/01 ज्येष्ठ, 1944 (शक)

सं.76/बिहार/वि०स०/136/सी.ई.एम.एस-III/2020 यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 136-सरायरंजन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं. 7843 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP-21/2020(खंड-136)सरायरंजन/894 के जरिए अग्रेषित दिनांक 15 फरवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री बुलबुल कुमार सहनी, जो बिहार के 136-सरायरंजन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले (आम अधिकार मोर्चा) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री बुलबुल कुमार सहनी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री बुलबुल कुमार सहनी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री बुलबुल कुमार सहनी द्वारा 12 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर द्वारा अपने दिनांक 26 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 501/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्तीपुर द्वारा अपने दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 518/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री बुलबुल कुमार सहनी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री बुलबुल कुमार सहनी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा
- उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 136-सरायरंजन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री बुलबुल कुमार सहनी, निवासी- ग्राम+पो.-चंदौली, थाना-उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर (बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

आदेश से,
कुमार राजीव,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 386-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>